## प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

- इस योजना का नोडल अभिकरण खादी ग्रामोद्योग आयोग है, इस योजना के संचालन का दायित्व खादी ग्रामोद्योग आयोग/बोर्ड को ग्रामीण क्षेत्र के लिये तथा जिला उद्योग केन्द्र को शहरी और ग्रामीण – दोनों क्षेत्रों के लिए दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत विनिर्माण, उत्पादन क्षेत्र के लिए रू0 25.00 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए रू0 10.00 लाख तक पूंजी विनियोजन के प्रोजेक्ट अनुमन्य है।

**पात्रता–**

1–अभ्यार्थी की आयु 18 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है।
2–आवेदक को किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/ वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नही होना चाहिए।
3–आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त न किया गया हो।

**उद्यमी आवेदन कैसे करें :–**

उक्त योजना की विस्तृत जानकारी www.kviconline.gov.in परप्राप्त करते हुए आवदेन पत्र ऑन–लाईन प्रेशित किये जायेगे।उक्त आवेदन केवल ऑन–लाईन ही प्रेशित किये जायेगे।

**योजना के अर्न्तगत उपलब्ध सब्सिडी /मार्जिन मनी प्राविधान–**

| योजना के अर्न्तगत लाभार्थियों की श्रेणी | मार्जिन मनी | सब्सिडी की दर | |
|---|---|---|---|
| | प्रतिशत | शहरी (प्रतिशत) | ग्रामीण(प्रतिशत) |
| सामान्य | 10 | 15 | 25 |
| अ0जा0/अ0ज0जा0/अपि0वि0/अल्प, महिला,भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग और पूर्वोत्तर पहाडी व सीमावर्ती क्षेत्रों सहित | 05 | 25 | 35 |